न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 61/2017(कम्प्यूटर नं. 2017/00292)

प्रार्थीगण

1. राजूराम पुत्र हरूराम जाति जाट उम्र 67 वर्ष निवासी चारणवास तह. कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, कुचामनसिटी
2. ज्ञानाराम पुत्र हरूराम
3. रिद्वकरण पुत्र ज्ञानाराम
4. रमेश पुत्र ज्ञानाराम
5. मुकेश पुत्र ज्ञानाराम
6. सुवादेवी पत्नि ज्ञानाराम जाति जाट निवासीगण चारणवास तह. कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

प्रार्थना–पत्र रास्ता दर्ज करने व दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 251 (A) R.T.Act 1955 & 136 L.R.Act 1956 151 C.P.C.

उपस्थित – श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

श्री प्रभूराम गुर्जर एवं श्री माणकचन्द अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 से 5 की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 30.08.19

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम चारणवास तहसील कुचामनसिटी के खेत खसरा नम्बर 362/241 रकबा 7.8188 हैक्टर भूमि व खसरा नम्बर 240 रकबा 0.25 हैक्टर गै.मु.ढाणी दर्ज चली आ रही है, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.25 हैक्टर भूमि में जो कि प्रार्थी की रेकर्डेड ढ़ाणी बनी हुई है जिसमें वह परिवार सहित रहवास करता आ रहा है, जिसमें आने जाने हेतु रास्ता छोड़ा गया जिसका खसरा नम्बर 393/362 रकबा 0.0912 हैक्टर है जो कि मौके पर नक्शा ट्रेस में नक्शानुसार तरमीम किया गया है, उक्त खसरा नम्बर 393/362 की भूमि नक्शे के रूप में दर्ज है जिसको अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 ने रास्ता बंद कर रखा है व उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है जिसको नाप–चौक करके खोला जाना आवश्यक है, उक्त भूमि जो कि मौके पर रास्ता नक्शा में तरमीम हो रखा है लेकिन किस्म चाही दर्ज हो रखी है जिसको दुरूस्त कर उक्त भूमि को गै.मु.रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक है जिससे मौके पर राजस्व रेकर्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज होने से प्रार्थी के उक्त रास्ते अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 बन्द नही करे, प्रार्थी के हक–हिस्से व ढ़ाणी में आने–जाने में किसी प्रकार की [illegible] नही हो इसलिए यह रास्ते का आवेदन व रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना–पत्र [illegible] आवश्यक हुआ है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम चारणवास तहसील कुचामनसिटी [illegible] स्थित भूमि ढ़ाणी खसरा नम्बर 240 रकबा 0.25 हैक्टर में आने जाने हेतु खसरा नम्बर [illegible]362 रकबा 0.0912 हैक्टर भूमि को रास्ता घोषित कर उक्त रास्ते की भूमि का [illegible]चौक करके सीमाज्ञान करके अतिक्रमण मुक्त व खुलवाया जाने के आदेश तहसीलदार कुचामनसिटी को प्रदान करावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:06:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उपस्थिति होकर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल मिसल उपलब्ध है, अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 द्वारा दिनॉक 18.01.2019 को जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल उपलब्ध है, अप्रार्थी संख्या 6 बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में पक्षकार प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी नकल सम्वत 2072–75 तक की प्रस्तुत की तथा नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 240 की भूमि मे बनी रहवासी ढ़ाणी में आने–जाने के लिये जो रास्ता छोड़ा गया है वो खसरा नम्बर 240 की भूमि में से ही छोड़ा गया है जिसे स्वयं प्रार्थी ने बन्द कर रखा है,अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से रास्ता बन्द नही किया गया है ना ही किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है उल्टा प्रार्थी ने बदनियति पूर्वक स्वयं द्वारा रास्ता बंद कर अप्रार्थीगण एवं राज्य सरकार के विरूद्व यह झूंठा प्रकरण पेश किया गया है, प्रार्थी आदतन मुकदमेबाज व्यक्ति है प्रार्थी अप्रार्थीगण से पारिवारिक रंजिश रखता है जिसके तहत वह पहले भी अप्रार्थीगण के विरूद्व ऐसी कार्यवाहिया कर चुका है, प्रार्थी द्वारा कथन किया है कि रास्ता तरमीम किया हुआ है तथा दूसरी ओर कहता है कि किस्म चाही दर्ज हो रखी है दोनो कथन विपरित है, प्रार्थी का कथन है कि मौके पर रास्ता है और दूसरी तरफ कह रहा है कि अप्रार्थीगण ने रास्ता बंद कर रखा है तब मौके पर रास्ता कैसे होगा, प्रार्थी का कथन है कि खसरा नम्बर 393/362 कि किस्म चाही दर्ज है कि किस्म परिवर्तन कर रास्ता घोषित किया जावे तो वह उपरोक्त प्रार्थना–पत्र से सम्भव नही है इसके लिए प्रार्थी को उचित प्रावधानो के तहत वाद–पत्र पेश करना चाहिये मौके पर खसरा नम्बर 240 में आने जाने का रास्ता आज भी मौजूद है प्रार्थी ने स्वयं बन्द कर रखा है इसलिये जब प्रार्थी न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नही आया तो वह न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत पर्चा मौका रिपोर्ट दिनॉक 04.02.2019 अनुसार खसरा नम्बर 393/362 रकबा 0.0912 चाही तृतीय सिवाय चक खाता संख्या एक में दर्ज है मौके पर खसरा नम्बर 393/362 में होकर आवागमन नही हो रहा है, मौके पर पड़ौसी खातेदारान को इस भूमि को लेकर विवाद है रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 393/362 राजूराम पुत्र हरूराम के द्वारा राजहित में रास्ते हेतु सर्म्पण करने से जरिये नामान्तरक[illegible] सिवायचक राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज हुई है, वर्तमान में खातेद[illegible] सुविधानुसार खसर नम्बर 362/241 की पूर्वी सीमा के सहारे–[illegible] इसी खसरे में पूर्व से पश्चिम होकर अपनी ढ़ाणी खसरा नम्बर 240 [illegible] है जो नजरी नक्शा में अंकित है, नजरी नक्शा अनुसार मौके पर समर्पित रा[illegible] A to B बन्द है तथा C to D मौके पर चालू है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:06:09 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। दोनो पक्षो द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यो को दोहराया है। प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम

चारणवास सम्वत 2072–75 खसरा नम्बर 208 209 238 241 366/209 कुल रकबा 8.18 हैक्टर मे ज्ञानाराम पुत्र हरूराम कौम जाट सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा कुचामनसिटी मूर्तहीन दर्ज है, चारणवास के खसरा नम्बर 210 239 240 362/241 कुल रकबा 9.8688 हैक्टर में राजूराम पुत्र हरूराम कौम जाट सा.देह खातेदार राहिन सी.बी.आई. शाखा जिलिया मूर्तहीन सा.देह दर्ज है, चारणवास के खसरा नम्बर 295 रकबा राजूराम ज्ञानाराम पि. हरूराम कौम जाट सा.देह खातदेार राहिन ज्ञानाराम पुत्र हरूराम का हि. स.बी.बी.जे. बैंक शाखा कुचामनसिटी मूर्तहीन दर्ज है नामा.सं. 342 दिनॉक 04.11.2016 न्यायालय आदेश से सम्पूर्ण खाते में राजूराम 1/2 ज्ञानाराम1/2 पि. हरूराम जाति जाट सा दृदेह दर्ज किया गया रहन बदस्तूर। खसरा नम्बर 393/362 रकबा 0.0912 हैक्टर चाही 3 राजस्थान सरकार के खाता संख्या एक में दर्ज है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मौके पर प्रार्थी की ढ़ाणी में आने जाने हेतु रास्ता नक्शे में तरमीम है तथा उपरोक्त खसरा नं. 393/362 राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज चला आ रहा है जिसका उपयोग वक्त बंटवारा प्रार्थी के उपयोग हेतु ही रखा गया है, एक ओर प्रार्थी द्वारा कथन किया जा रहा है कि मौके पर रास्ता बंद है जिसे खुलवाया जावे तथा मौके पर अतिक्रमण है। जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी उपरोक्त खसरा नम्बर 240 की भूमि में 362/241 की स्वयं के नाम दर्ज खातेदारी में पूर्वी सीमा के सहारे सहारे आता जाता रहा है। खसरा नम्बर 393/362 मौके पर रास्ता बन्द है जिसे तहसीलदार कुचामनसिटी को आवेदन प्रस्तुत कर रास्ता खुलवाये जाने की कार्यवाही करने एवं धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत सम्बन्धित के विरूद्व कार्यवाही किये जाने हेतु आवेदन किया जाना चाहिये। अप्रार्थी संख्य 3 ता 6 के नाम आज दिन खातेदारी दर्ज नही है जिन्हे बेवजह पक्षकार बनाया गया है अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है जिसका बंटवारा दर्ज होकर सेपरेट खातेदारी दर्ज चली आ रही है, खसरा नम्बर 362/241, 240 प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त खसरा नम्बर 240 में आने जाने के लिए पक्षकार अप्रार्थी से न तो भूमि की मांग की गई है तथा नही मौके पर किसी प्रकार के रास्ते की मांग की गई है। प्रथम दृष्टया मामला 251 ए की श्रेणी मे बनता ही नही है। रही बात रास्ता बन्द होने की तो प्रार्थी सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर रास्ता खुलवाये जाने की कार्यवाही करे तथा खसरा नम्बर 393/362 की भूमि चाही जो राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज [illegible] कराये जाने बाबत सम्बन्धित अधिनियम में पृथक से प्रार्थना–पत्र/वा[illegible]स्तु[illegible] करे। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सा[illegible] है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित [illegible] खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनाँक 30.08.2019 [illegible] सरे इजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.25 12:06:09 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट RAS,)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)